न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 42/2016/अपील

बिहारीलाल पुत्र जगू पुत्र टीकू जाति मोची निवासी कस्बा लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

1. मोतीलाल
2. सत्यपाल
3. इन्द्रचन्द
4. सुरेन्द्र कुमार

} पुत्रगण विश्वनाथ

5. गंगना पुत्री विश्वनाथ
6. मनभरी स्त्री विश्वनाथ
   समस्त जाति मोची निवासीगण कस्बा लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर मोहल्ला मोचीयान वार्ड नम्बर 12 तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
7. तहसीलदार एवं उप पंजीयक महोदय लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
8. पटवारी हल्का लक्ष्मणगढ़ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 4308 दिनांक 28.03.2016 वाके कस्बा लक्ष्मणगढ़ द्वारा न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ़

वकील अपीलांट श्री रिड़मल सिंह

निर्णय दिनांकः—16.08.2019

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि अपीलाधीन नामांतकरण कस्बा लक्ष्मणगढ़ में स्थित खसरा नम्बर 369 रकबा 0.3100 है0 के बाबत स्वीकृत किया गया है। खसरा नम्बर 369/2 का मूल खसरा नम्बर 369 का एक हिस्सा है। उक्त कृषि भूमि अपीलांट के दादा टीकू वल्द रामू के खाते, कब्जे, काश्त की भूमि थी। उक्त कृषि भूमि की जमाबंदी सम्वत 2015 से 2018 अपीलांट के दादा के नाम बनी हुई थी और उक्त भूमि पर कब्जा व काश्त स्वर्गीय टीकूराम व तिलोकाराम पिता रामू का ही था। रेस्पोडेंटस संख्या 1 ता 5 के पिता व रेस्पो0 संख्या 6 के पति स्व0 विश्वनाथ पुत्र मूलचन्द मोची का वादग्रस्त भूमि से किसी भी प्रकार का सम्बन्ध, सरोकार कभी भी नही रहा था। उक्त विश्वनाथ का पहले कोई राजस्व रिकार्ड भी नहीं था, लेकिन उक्त विश्वनाथ ने पदमाराम आदि से मिलकर उक्त भूमि का खाता अपने नाम विधि विरूद्ध व अवैध तरीके से अपने नाम बनवा लिया। विश्वनाथ की मृत्यु के बाद रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ता 6 ने अपने नाम गलत रूप से अपीलाधीन नामांतकरण तस्दीक करवा लिया। अपीलाधीन नामांतकरण तस्दीक करने से पूर्व योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामांतकरण सम्बन्धी विधि एवं नियमों की पालना नहीं किया गया। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने बिना न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये बिना ही

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किसी भी तरह सुनवाई का अवसर नहीं दिया और बिना नोटिस दिए ही अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक कर दिया गया। वादग्रस्त भूमि के कब्जे की जांच नही की गई। वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का ही कब्जा काश्त है। रेस्पो0 संख्या 1 ता 6 का कोई कब्जा काश्त नही है, इसलिए कब्जे के अभाव में स्वीकृत किया गया नामांतकरण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ द्वारा कस्बा लक्ष्मणगढ़ में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 369/2 में से 1/2 हिस्से की भूमि का नामान्तकरण संख्या 4308 दिनांकित 28.03.2016 को रेस्पो0 संख्या 1 ता 6 के नाम तस्दीक किया है को निरस्त फरमाया जाकर खाता अपीलांट के नाम किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण खातेदार विश्वनाथ के फौत होने पर उनके वारिसान के हक में विरासत का नामान्तकरण तस्दीक किया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्यों के मुताबिक विवादग्रस्त आराजियात अपीलांट के दादा टीकू वल्द रामू के खाते, कब्जे काश्त की भूमि होने के सम्बंध में पत्रावली पर कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। पत्रावली पर केवल मात्र अपीलाधीन नामान्तकरण की प्रति प्रस्तुत की है। चुनौतिग्रस्त नामान्तकरण के विरुद्व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में अपीलांट के क्या हित निहित है, इस सम्बंध में अपीलांट द्वारा कोई ठोस दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। विवादग्रस्त आराजियात अपीलांट के दादा की कब्जे काश्त की भूमि होने सम्बंध में अधिवक्ता अपीलांट द्वारा केवल मात्र कथन किया है, बल्कि इस सम्बंध में पुष्टि हेतु कोई विश्वस्त साक्ष्य/दस्तावेज पेश नहीं किये है। अपीलांट द्वारा अपील मेमों में अंकित तथ्यों और चाहे गये अनुतोष की पुष्टि हेतु कोई विश्वस्त साक्ष्य/दस्तावेज पेश नहीं किये है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित चुनौतिग्रस्त नामान्तकरण संख्या 4308 दिनांक 28.03.2016 में किसी प्रकार की दखलंदाजी की आवश्यकता उचित प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

16/8/19
(जय प्रकाश)
अति० जिला कलक्टर, सीकर
अति0 जिला कलक्टर, सीकर

अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट सीकर